भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **943** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **3 दिसम्बर**, 2021/12 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों और हार्बरों का विकास

†943. **श्री मनोज तिवारी:**

श्री सुब्रत पाठक:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में पत्तनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पत्तनों के विकास के दौरान रेत खनन के दुष्परिणामों और तटवर्ती क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद्य बनाने का संज्ञान लिया है;

(ग) यदि हां, तो इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए किए गए अध्ययन और उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पत्तनों के विकास और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के कारण समुद्री तटों के कटाव को रोकने के लिए कोई उपाय कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में पत्तनों के सतत विकास के लिए कोई नीति तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सभी महापत्तनों और गैर-महापत्तनों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार सूची **अनुबंधित** है।

(ख) और (ग): पत्तनों और बंदरगाहों के विकास कार्यों में ब्रेकवाटर्स, जेट्टियों, रिक्लेमेशन बंड्स आदि ढांचों के निर्माण के साथ ही नौचालन की गहराई बनाए रखने के लिए ड्रेजिंग भी शामिल हो सकते हैं। इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) और/अथवा राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीजेडएमए) से मानकों के अनुरूप लागू पर्यावरण/तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अनापत्ति प्राप्त करना अपेक्षित है। परियोजनाओं के विकास के एक अंग के रूप में एमओईएफएंडसीसी और सीजेडएमए के द्वारा निर्धारित अध्ययन जैसे पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) चलाए जाते हैं। परियोजना के लिए अध्ययनों के आधार पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक शमनकारी उपाय किए जाते हैं।

(घ): प्राकृतिक कारणों, जैसे तूफान, लगातार निम्न दबाव, बड़ी हुई तरंग गतिविधि, समुद्र-तल में बढ़ोतरी होने आदि के साथ ही तटों के आस-पास विकास संबंधी गतिविधियां चलाने के कारण तटीय कटाव हो सकता है। चूंकि, विभिन्न कारणों से तटीय क्षेत्रों में कटाव हो सकते हैं, अत: तटीय कटाव के पहलू पर ध्यान देने के लिए स्थल विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर समुद्र तट पोषण, जलमग्न चट्टान, प्राकृतिक वृक्षारोपण और समुद्री दीवार, ग्रोइन, अपतट ब्रेकवाटर्स जैसे ठोस/नरम/हाइब्रिड ढांचों जैसे तटीय सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

(ङ): पत्तनों का सतत विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से, मैरीटाइम इंडिया विज़न (एमआईवी), 2030 जारी किया गया था जिसमें दीर्घकालीन पद्धतियों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण के उपायों के साथ पत्तनों के विकास की परिकल्पना की गई है। देश में पत्तनों के सतत विकास के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग और ड्रेज की गई सामग्री के पुन: उपयोग के साथ ड्रेजिंग परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा महापत्तनों के लिए ड्रेजिंग दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

अनुबंध

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल गैर-महापत्तन	कुल महापत्तन
आंध्र प्रदेश	15	1
गोवा	5	1
गुजरात	48	1
कर्नाटक	12	1
केरल	17	1
महाराष्ट्र	48	2
ओडिशा	14	1
तमिलनाडु	17	3
पश्चिम बंगाल	2	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24	-
दमन और दीव	2	-
पुडुचेरी	3	-
लक्षद्वीप	10	-

*****